

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) विधेयक, २०१५

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०१५ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रु. पांच हजार आठ सौ नवासी करोड़ इकहत्तर लाख तेरह हजार केवल होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ५८,८९,७१,१३,००० का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	३,४५,११,००,०००
				३,४५,११,००,०००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	२२,८३,६०,०००	१,००,०००
				२२,९२,६०,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	७००	०
		पूंजी	९०,००,०००	०
				९०,००,०००
०५.	जेल	राजस्व	१३,००,००,०००	०
				१३,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०६. वित्त	राजस्व	३,१४,५६,०००	०	३,१४,५६,०००
१०. वन	राजस्व	६४,७५,००,०००	०	६४,७५,००,०००
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	३४,८९,१५,०००	०	३४,८९,१५,०००
१४. पशुपालन	राजस्व	११,६८,३३,०००	०	११,६८,३३,०००
१५. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२५,०८,८२,०००	०	२५,०८,८२,०००
१६. मछली पालन	राजस्व	६,६३,३२,०००	०	६,६३,३२,०००
१७. सहकारिता	राजस्व	५८,४५,८४,०००	०	५८,४५,८४,०००
१८. श्रम	राजस्व	१,७०,००,०००	०	१,७०,००,०००
२२. नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	२,१४,०७,०६,६००	०	२,१४,०७,०६,६००
२३. जल संसाधन	राजस्व	४,२०,००,०००	०	४,२०,००,०००
	पूंजी	३,०५,००,००,२००	०	३,०५,००,००,२००
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
	पूंजी	२,६९,२२,०३,१००	०	२,६९,२२,०३,१००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२५.	खनिज साधन			
	राजस्व	९५,६८,२००	०	९५,६८,२००
२६.	संस्कृति			
	राजस्व	१०,३१,०१,२००	०	१०,३१,०१,२००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	राजस्व	२,०७,१४,०००	०	२,०७,१४,०००
	पूंजी	११,८७,०३,०००	०	११,८७,०३,०००
२८.	राज्य विधान मंडल			
	राजस्व	१,६७,००,१००	०	१,६७,००,१००
२९.	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	२,००,००,०००	८,५८,००,०००	१०,५८,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी			
	राजस्व	७,१०,०००	०	७,१०,०००
३४.	सामाजिक न्याय			
	राजस्व	५९,४४,७३,२००	०	५९,४४,७३,२००
३७.	पर्यटन			
	पूंजी	७५,६०,००,०००	०	७५,६०,००,०००
३८.	आयुष			
	राजस्व	३०,२६,८८,५००	०	३०,२६,८८,५००
	पूंजी	३,८७,८८,०००	०	३,८७,८८,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण			
	राजस्व	२,४२,८५,८४,५००	०	२,४२,८५,८४,५००
	पूंजी	४,२०,००,०००	०	४,२०,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना			
	राजस्व	१,०३,७३,९४,६००	०	१,०३,७३,९४,६००
	पूंजी	१८,१६,८५,४००	०	१८,१६,८५,४००

(१)	(२)		(३)	
		रुपये	रुपये	रुपये
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूंजी	३,४००	०	३,४००
४४. उच्च शिक्षा	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	३५,००,००,१००	०	३५,००,००,१००
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
	पूंजी	७५,००,०३,१००	०	७५,००,०३,१००
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	१३,९५,०००	०	१३,९५,०००
	पूंजी	४,५९,२३,०००	०	४,५९,२३,०००
४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	७,४०,६४,०००	०	७,४०,६४,०००
५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	४७,९०,२२,५००	०	४७,९०,२२,५००
५२. आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३५,९९,३३,०००	०	३५,९९,३३,०००
५३. अनुसूचित जाति उपयोगना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	१००	०	१००
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	७५,९७,५१,८००	०	७५,९७,५१,८००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें			
	पूंजी	६,०४,३३,०००	०	६,०४,३३,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय			
	राजस्व	८०,७५,०००	०	८०,७५,०००
	पूंजी	२४,१७,०३,०००	०	२४,१७,०३,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय			
	पूंजी	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना			
	राजस्व	१,१७,५३,३३,७००	०	१,१७,५३,३३,७००
	पूंजी	५,४४,६५,२००	०	५,४४,६५,२००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण			
	राजस्व	२,६९,००,००,०००	०	२,६९,००,००,०००
	पूंजी	४,२६,९५,०००	०	४,२६,९५,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन			
	राजस्व	२,५०,००,०००	९२,०६,१००	३,४२,०६,१००
६८.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	१००	०	१००
७१.	सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय			
	राजस्व	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
	पूंजी	३,००,००,००,०००	०	३,००,००,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा			
	राजस्व	४२,००,००,१००	१००	४२,००,००,२००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	१८,४३,९१,२६,०००	०	१८,४३,९१,२६,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
७५. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
	राजस्व	३,९९,६२,९६,३००	१०,००,००,०००	४,०९,६२,९६,३००
योग :	राजस्व	४३,६१,६५,०१,३००	३,६४,७०,०६,२००	४७,२६,३५,०७,५००
	पूंजी	११,६३,३६,०५,५००	०	११,६३,३६,०५,५००
वृहद योग :		५५,२५,०१,०६,८००	३,६४,७०,०६,२००	५८,८९,७१,१३,०००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख ०७ दिसम्बर, २०१५.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.